

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/50

दिनांक:- 5/2/24

--:आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन शृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन शृंखला
1	नगराज भाटी नर्सिंग ऑफिसर	अधीक्षक एमजीएच जोधपुर	14.08.2000 वार्डबॉय 09.11.2016 नर्सिंग ऑफिसर	14.8.2018 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
2	सुनीता, नर्सिंग ऑफिसर	बीसीएमओ जालौर	10.08.2005	10.8.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
3	सुनीता कुमारी, नर्सिंग ऑफिसर	सामू.स्वा.केन्द्र चवा बाडमेर	6.08.2005 म0स्वा0कार्य 01.04.2021 नर्सिंग ऑफिसर	06.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
4	मदाराम सुथार, नर्सिंग ऑफिसर	सामु. स्वा. केन्द्र, आहारे (जालौर)	11.8.2009	11.8.2018 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
5	हरिराम नर्सिंग ऑफिसर	प्रमुख चिकि. अधि. सांचौर(जालौर)	27.05.2013	27.5.2022 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12

नोट:- उक्त कार्मिको के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान है तो उक्त आदेश उन पर प्रभावी नहीं होंगे।

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-22-00573/2024/50

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
2. अधीक्षक, महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सांचौर (जालौर)
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन जोधपुर राजस्थान।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
6. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. आदेश /रक्षित पत्रावली।

5419053

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

दिनांक:- 5/2/24

Document certified by SURESH  
NAWAL <asdnag@gmail.com>  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
Digitally Signed by Suresh  
Kumar Nawal  
Designation: Director